बिहार राज्य और अन्य

बनाम

रमेश चंद्र और अन्य

20 मार्च, 1997

[एस. सी. अग्रवाल और जी. टी. नानावती, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानूनः

चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956-धारा 33 (जे)/भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम, 1971/1982/1989 न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर और सहायक प्रोफ़ेसर के लिए आवश्यक योग्यताएँ -प्रोफेसर के रूप में अपीलार्थी की नियुक्ति को रद्द करना, जो पहले से ही आवश्यक योग्यता नहीं होने के आधार पर सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे-अभिनिर्धारित किया गया*:* अवैध, क्यूँकि अनिवार्य योग्यता के रूप में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम, 1971 द्वारा निर्धारित नियम समान हैं।- यह माना जाता है कि एक व्यक्ति जो पहले से ही एक पद पर नियुक्त था, उसके पास दूसरे पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ थीं और नियुक्ति प्राधिकरण उसे नियुक्त करने से पहले इतना संतुष्ट था- M.S./F.R.C.S के बाद M.Ch. की डिग्री जैसा कि भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम 1971 द्वारा निर्धारित है-अभिनिर्धारित किया गया*:* एक वैकल्पिक योग्यता है और प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होने के लिए एकमात्र योग्यता नहीं है -जिसके पास M.S./F.R.C.S की डिग्री है, दो साल के विशेष प्रशिक्षण के साथ वे भी पात्र हैं।

भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम, 1971-यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पास वैधानिक बल नहीं हो सकता है-केवल अनुशंसा करने वाला और प्रकृति में अनिवार्य नहीं।

भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम, 1982 और 1989-हालांकि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं, मनमानेपन से बचने के लिए नियुक्तियां करने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा पालन किया जाना वांछनीय है।

शब्द और वाक्यांशः ' विशेष प्रशिक्षण-अर्थ-भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम, 1971 के संदर्भ में।

प्रत्यर्थी को तंत्रिका शल्य चिकित्सा के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पटना मेडिकल कॉलेज में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति को अपीलार्थी ने अपने एक सहयोगी, जो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, के साथ चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, राज्य द्वारा दिए गए इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने दोनों याचिकाकर्ताओं को तदर्थ आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत करने का निर्णय लिया था, जो निष्फल है। रिट याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने सरकार को नियुक्तियां करने की अधिसूचना जारी करने की स्वतंत्रता प्रदान की। तदनुसार, सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी कर अकेले प्रत्यर्थी की नियुक्ति के अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया और तीनों को तदर्थ आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया। उच्च न्यायालय के आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी । अपील के लंबित रहने के दौरान, सरकार ने सभी तीन एसोसिएट प्रोफेसर की तदर्थ नियुक्ति को नियमित करते हुए एक और अधिसूचना जारी की और उनकी परस्पर वरिष्ठता भी तय की।अपीलार्थी को वरिष्ठता में प्रत्यर्थी से ऊपर रखा गया था।

इस आदेश पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **22.9.91** पर अपील का निस्तारण करते हुए कहा कि जिस विवाद के निर्धारण की आवश्यकता थी, वह केवल वरिष्ठता से संबंधित है और उस पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना था। इसलिए मामले को उच्च न्यायालय में रिमांड कर दिया गया।

प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने के लिए अपीलार्थी की पात्रता चुनौती दी, जिसे उसके द्वारा अंततः वापस ले लिया गया था।

इस बीच न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर का पद रिक्त हो गया था और विभागीय पदोन्नति समिति ने अपीलार्थी की प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका समय से पहले किए जाने के कारण खारिज की। अंततः **1** अगस्त, **1992** को सरकार ने **1** मई, **1990** से प्रपूर्वव्यापी प्रभाव के साथ प्रोफेसर के पद के लिए अपीलार्थी को पदोन्नति दी । प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की नियुक्ति को फिर से उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी कि प्रतिवादी के पास आवश्यक योग्यताएँ नहीं थी। उच्च न्यायालय ने न्यूरोसर्जरी में प्रोफेसर के रूप में अपीलार्थी नियुक्ति को रद्द कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि उसके पास प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताएँ नहीं थीं और राज्य सरकार इस मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए निर्देशित किया। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी के साथ-साथ राज्य सरकार ने वर्तमान अपीलें दायर कीं ।

अपीलों को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गयाः

1.1 . उच्च न्यायालय ने प्रोफेसर के रूप में अपीलार्थी की नियुक्ति को पद के लिए आवश्यक योग्यता न होने के आधार पर रद्द करने में गलती की थी जो कि पहले

से ही एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा था और एसोसिएट प्रोफेसर की निर्धारित योग्यता भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार समान हैं। एक बार यह स्वीकार कर लिया जाता है कि नियुक्ति एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अपीलार्थी वैध थी, यह निहित होगा कि आवश्यक शिक्षण अनुभव के अलावा, उसके पास एम. एस. की डिग्री प्राप्त करने के बाद न्यूरोसर्जरी में दो साल का विशेष प्रशिक्षण भी था। इसलिए यह समझना मुश्किल है कि यह प्रत्यर्थी के पास कैसे विकल्प खुला था इसके बाद यह चुनौती देने के लिए कि अपीलार्थी के पास प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक विशेष प्रशिक्षण नहीं था। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट दिनांक **22.9.91** के आदेश भी स्पष्ट रूप से साबित करता है कि एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अपीलार्थी की नियुक्ति के संबंध में कोई विवाद नहीं था। प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय में अपनी एक रिट याचिका में यह भी बयान दिया कि वह अपीलार्थी की एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति को चुनौती नहीं दे रहा था । उच्चतम न्यायालय के आदेश और प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए था कि अपीलार्थी की असोसीयट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति विवाद में नहीं थे। इसलिए, उच्च न्यायालय को इस तथ्य से खुद को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए था कि एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अपीलार्थी की नियुक्ति को पहले चुनौती दी गई थी और फिर से खोला गया था।

1.2 . उच्च न्यायालय ए. एन. शास्त्री के मामले के अनुपात का पालन नहीं करने में गलत था, कि जब दोनों पदों के लिए निर्धारित योग्यता समान होती है, तो यह मान लेना होगा कि नियुक्ति प्राधिकरण संतुष्ट था कि वह व्यक्ति जो पहले से ही उन पदों में से एक पर नियुक्त था, उसके पास दूसरे पद पर नियुक्तियों के लिए आवश्यक योग्यताएँ थीं। यह नहीं दिखाया गया कि जब सरकार ने अपीलार्थी को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया है तो वह इतनी संतुष्ट नहीं थी। उच्च न्यायालय ने

गलत तरीके से अपीलार्थी पर यह दिखाने का भार डाला कि उसने दो साल के लिए आवश्यक "विशेष प्रशिक्षण" प्राप्त किया था और त्रुटिपूर्ण रूप से कहा कि वह इसे स्थापित करने में विफल रहा था।

ए. एन. शास्त्री बनाम पंजाब राज्य, **[1988] 2** एस. सी. आर., पर निर्भर।

2. भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम, **1971** का एक सादा पठन, यह दर्शाता है कि एम. सी. एच. **(M.Ch.)** की डिग्री प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित एकमात्र योग्यता नहीं है। यदि ऐसा होता और एम. सीएच.**(M.Ch.)** की डिग्री को अनिवार्य माना जाता, तो उक्त विनियमन में शल्य चिकित्सा में **"M.S./F.R.C.S"** या समकक्ष संबंधित विशेषता में दो साल के विशेष प्रशिक्षण के साथ की योग्यता शामिल नहीं होती । विनियमन इंगित करता है कि यह प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए एक वैकल्पिक योग्यता है। ऐसी नियुक्ति के लिए किसी के पास इनमें से कोई भी योग्यता होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एम. सी. एच.**(M.Ch.),** एम. एस.**(M. S.)** की तुलना में एक उच्च योग्यता है, इसलिए, जो एम. सी. एच. नहीं है और उसके पास केवल एम. एस. डिक्री है, संबंधित विशेषता पात्र होने के लिए उसमें दो साल का विशेष प्रशिक्षण होना आवश्यक है । इसलिए, अपीलार्थी जो न्यूरोसर्जरी में दो साल के विशेष प्रशिक्षण के साथ एम. एस. है, प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है।

डॉ. गंगा प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य, **[1995]** पूरक **1** एससीसी **192**; डॉ. अरुण कुमार अग्रवाल बनाम बिहार राज्य, **[1991]** पूरक **1** एस. सी. सी. **287** और ए. पी. सरकार बनाम डॉ. आर. मुरली बाबू राव, **[1988] 3** एससीआर, संदर्भित किया गया।

3. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना गलत था कि उसके समक्ष रखी गई सामग्री यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि अपीलार्थी ने तंत्रिका शल्य चिकित्सा में दो साल का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अभिलेख से पता चलता है कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में न्यूरोसर्जिकल इकाई की स्थापना मई, **1975** में की गई थी। अपीलार्थी को दिसंबर **1976** में उस इकाई में रेजिडेंट सर्जिकल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इकाई के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र से आगे पता चलता है कि अपीलार्थी ने रेजिडेंट सर्जिकल अधिकारी के रूप में अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान गहन, सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उस अवधि के दौरान उन्होंने स्वतंत्र रूप से न्यूरोसर्जिकल जांच और संचालन किया था। रेजिडेंट सर्जिकल ऑफिसर का पद एक शिक्षण पद है और अपीलार्थी **5.2.1980** पर सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी नियुक्ति तक उस इकाई में पद पर बने रहे। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि अपीलार्थी ने **1976** से **1980** के बीच रेजिडेंट सर्जिकल ऑफिसर के रूप में जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उसे न्यूरोसर्जरी में "विशेष प्रशिक्षण" नहीं माना जा सकता है।

4. भारतीय चिकित्सा परिषद की धारा **33** के तहत बनाए गए नियम बनने के बाद भी चिकित्सा परिषद **1971** की सिफारिशें अधिनियम प्रकृति में केवल अनुशंसित हैं। उच्च न्यायालय इस आधार पर कार्यवाही करने में सही नहीं था कि, **1971** के विनियमों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के कारण वैधानिक बल प्राप्त है और **1982** और **1989** के बाद के नियम केवल अनुशंसित प्रकृति के हैं। हालाँकि नियुक्ति प्राधिकारी के लिए उन सिफारिशों का पालन करना अनिवार्य नहीं है जिन्हें केंद्रीय सरकार की मंजूरी नहीं मिली है, यदि ऐसी सिफ़ारिशें स्वीकार्य पाई जाती हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से उनका पालन करना अनुचित नहीं होगा और ऐसी सिफ़ारिशों के

आधार पर की गई मनमानी नियुक्तियों की चुनौती को बेहतर तरीके से झेलने में सक्षम होंगी।

4.1. यद्यपि न्यूरोसर्जरी में प्रोफेसर के पद के लिए सुझाई गई शैक्षणिक योग्यता एम.सीएच है, **1982** और **1989** की बाद की दोनों सिफारिशों के तहत, मेडिकल काउंसिल ने उन दोनों सिफारिशों में यह स्पष्ट कर दिया कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत शिक्षक/ निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले पाठक और उससे ऊपर के पाठक अपने पद पर बने रह सकते हैं और उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए भी पात्र हो सकते हैं। इसलिए, भले ही प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति की पात्रता बाद की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती है, अपीलकर्ता की नियुक्ति को मनमाना या अवैध नहीं माना जा सकता है।

5. हालाँकि, राज्य सरकार को **14.7.95** और **24.11.95** को दी गई अंतरिम राहत के मद्देनजर, रिक्त हुए पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं**. 11240 /1995**

पटना उच्च न्यायालय के C.W.J.C. संख्या 12274/1992 में 7.3.95 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

C. A. no.11240/95 में अपीलार्थियों के लिए डॉ. शंकर घोष, रतन कुमार चौधरी और अनिल कुमार झा और प्रत्यर्थी के लिए सी. ए. सं. 11241/95 में ।

C. A. no. 11241/95 में अपीलार्थी के लिए ब्रज के. मिश्रा और जी. बी. साठे, रंजीत कुमार और C. A. no. 11240/95 में प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय नानावटी, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था

ये दो अपील सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 12274 / 1992 के में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं सिविल अपील सं. 11240/95 बिहार राज्य द्वारा दायर की गई है और सिविल अपील सं. 11241/95 डॉ. चौधरी द्वारा दायर की गई है, जो रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 3 थे। रिट याचिका डॉ. रमेश चंद्र, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इन अपीलों में दायर की गई थी और इसके बाद 'प्रत्यर्थी' संदर्भित किया गया था।

एम. बी. बी. एस. की डिग्री प्राप्त करने के बाद प्रत्यर्थी प्रिंस ऑफ वेल्ज़ मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी विभाग में डेमन्स्ट्रेटर के तौर पर नियुक्त हो गया। उन्होंने जनरल सर्जरी में एम. एस. और उसके बाद 1967 में न्यूरोसर्जरी में एम. सीएच. किया। इसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर में कुछ समय के लिए दाखिला लिया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। वह 1973 में भारत लौट आए। उस समय तक प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना को राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था।

चूंकि प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज में एक डेमन्स्ट्रेटर के रूप में काम करते समय उन्हें दो साल की छुट्टी मिली थी, वह समाप्त हो गई थी और उन्होंने ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं की थी, उनका नाम उक्त मेडिकल कॉलेज में सरकार को सौंपी गई कर्मचारियों की सूची में शामिल नहीं था, जब सरकार द्वारा इस पर कब्ज़ा कर लिया गया। जब उन्हें पता चला कि उनका नाम सूची में शामिल नहीं है, तो वे मार्च 1973 में कुर्जी होली फैमिली अस्पताल में शामिल हो गये । दिसंबर 1978 में उस अस्पताल द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इससे पहले, 18 जनवरी 1974 को, उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज के प्रभारी अधिकारी को एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे प्रभारी अधिकारी ने सरकार को भेज दिया था। 29 जून, 1981 को, उन्हें शामिल होने की अनुमति दी गई और 29 मई, 1971 से, यानी उस तारीख से, जब कॉलेज को

सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था, उन्हें एनाटॉमी विभाग में एक ट्यूटर के रूप में बिहार स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल कर लिया गया। इसके बाद सरकार ने न्यूरो सर्जरी में एक शिक्षण पद पर नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता के संबंध में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से राय मांगी। मेडिकल काउंसिल की सहमति प्राप्त होने के बाद सरकार ने न्यूरो सर्जरी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित किया और 27 अप्रैल, 1983 को उनकी बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति की प्रत्याशा में उन्हें तदर्थ आधार पर उस पद पर नियुक्त किया ।

पूर्वव्यापी प्रभाव से ट्यूटर के रूप में प्रतिवादी की नियुक्ति और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उनकी आगे की नियुक्ति को डॉ. सिन्हा और डॉ. चौधरी, जो उस समय सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे, ने एक याचिका (C.W.J.C. No. 1815/1983) दायर करके पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसे 31.5.1983 को निरर्थक मानते हुए निस्तारण कर दिया गया, क्योंकि राज्य सरकार ने न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया था कि दोनों रिट याचिकाकर्ताओं को तदर्थ आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन इस आशय की अधिसूचना स्थगन आदेश के कारण जारी नहीं की जा सकी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की कि सरकार अधिसूचना जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी। तदनुसार, 3 जून, 1983 को सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इसे पूर्व अधिसूचना दिनांक 27.4.1983 (जिसके द्वारा प्रतिवादी को एक के रूप में एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किया गया था) तीनों डॉक्टरों को एसोसिएट के रूप में नियुक्त करना रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को प्रतिवादी ने इस न्यायालय में अपील दायर करके चुनौती दी थी। उस अपील (सिविल अपील संख्या 4023/ 1991 की) के लंबित रहने के दौरान, 24 जनवरी 1991 को राज्य सरकार ने तीनों डॉक्टरों की तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करते हुए एक अधिसूचना जारी की

क्रम संख्या 1 पर डॉ. सिन्हा का नाम अंकित था, उसके बाद क्रम संख्या 2 पर डॉ. चंदहारी का नाम था, प्रत्यर्थी का नाम क्रम संख्या 3 पर था। 22.9.1991 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करके अपील का निस्तारण किया:

"पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और बाद में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी और प्रत्यर्थी नंबर 4 और 5 की नियुक्ति के बाद, हमने पाया कि जिस विवाद के निर्धारण की आवश्यकता है वह केवल वरिष्ठता से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी, 1991 द्वारा अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित की है। हमारी राय है कि वरिष्ठता से संबंधित प्रश्न का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 की वरिष्ठता के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हैं।....."

इस बीच, 1 मई, 1990 को न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर का पद खाली हो गया। डॉ. सिन्हा भी उस समय तक सेवानिवृत्त हो चुके थे। उस स्तर पर, प्रत्यर्थी ने फिर से पटना उच्च न्यायालय में एक परमादेश रिट के लिए याचिका दायर की जिसमें बीहार राज्य को डॉ. चौधरी को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त नहीं करने या उन्हें न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख का पद संभालने की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया। प्रतिवादी ने डॉ. चौधरी को प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश को रद्द करने के लिए एक और याचिका (C.W.J.C. No. 5965/1991) भी दायर की और सरकार को उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख नियुक्त करने का निर्देश देने वाले परमादेश की रिट भी मांगी। बाद वाली रिट याचिका को 6 दिसंबर, 1991 को 'समय से पहले' मानते हुए निस्तारण कर दिया गया। 22 अप्रैल 1992 को डॉ. सिन्हा और 1983 में डॉ.

चौधरी द्वारा रिट याचिका दायर की गई। उस निर्णय को प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और जिसे वरिष्ठता के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए उच्च न्यायालय में भेजा गया था, रिट याचिकाकर्ताओं के द्वारा वापस ले लिया गया था। 1 अगस्त, 1992 को सरकार ने डॉ. चौधरी को 1 मई, 1990 से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया, जिस दिन यह पद रिक्त हुआ था। प्रत्यर्थी ने अपनी पिछली रिट याचिका में संशोधन करके उस नियुक्ति को चुनौती दी,नामतः C.W.J.C. No. 3596/1990 जो अभी तक लंबित था. 19 अगस्त 1992 को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि 1 अगस्त 1992 की आक्षेपित अधिसूचना इस गलत धारणा पर जारी की गई थी कि C.W.J.C. No. 5965/ 1991 अभी भी लंबित था। उच्च न्यायालय ने मामले को राज्य सरकार को भेज दिया और सी को नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया। तदनुसार सरकार ने, नवंबर, 18, 1992 को निर्णय लिया कि सभी तीन डॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति/पदोन्नति के लिए पात्र थे; डॉ. सिन्हा ने 29 सितंबर, 1981 को पात्रता हासिल की और उक्त पद के हकदार बन गये जनवरी 8, 1983; डॉ. चौधरी ने 5 फरवरी, 1983 डी को पात्रता हासिल की और 8 जनवरी, 1983 से पदोन्नति के लिए पात्र हो गए क्योंकि उस तारीख को पद पहले से ही मौजूद था; और, प्रतिवादी डॉ. रमेश चंद्र, जिनकी नियुक्ति 10 मार्च, 1983 को सृजित पद पर हुई थी, पूर्वव्यापी प्रभाव से इसे पाने के हकदार नहीं थे क्योंकि 27 अप्रैल, 1983 से पहले, वह एक अन्य विभाग, एनाटॉमी में ट्यूटर के रूप में कार्यरत थे। और इसलिए, के पास 10 मार्च, 1983 से 26 अप्रैल, 1983 के दौरान कोई शिक्षण अनुभव नहीं था। इस निर्णय के मद्देनजर डॉ. सिन्हा और डॉ. चांधरी को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति दी गई और उनके शिक्षण अनुभव को समाप्त माना गया। 3 जून, 1983 से। प्रतिवादी को 27 अप्रैल, 1983 को नियुक्त माना गया और उसका शिक्षण अनुभव उस तिथि से गिना जाएगा। हालाँकि, तीन डॉक्टरों की नियुक्तियाँ तदर्थ कहा गया है।

इसलिए, प्रतिवादी ने एक याचिका दायर करके सरकार के उक्त निर्णय और डॉ. सिन्हा और डॉ. चौधरी की नियुक्तियों को चुनौती दी, जिसमें से ये दो अपीलें उत्पन्न हुईं। उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार पदोन्नति /नियुक्तियों को तदर्थ बताने के लिए स्वतंत्र नहीं है क्योंकि उसने पहले ही उनकी तदर्थ पदोन्नति/नियुक्तियों को नियमित कर दिया है और उनकी वरिष्ठता तय कर दी है। जैसा कि इस तथ्य पर इस न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया था और 27 सितंबर, 1991 के आदेश में, यह देखा गया था कि "जिस विवाद के निर्धारण की आवश्यकता है वह केवल वरिष्ठता से संबंधित है", उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार उनकी नियुक्ति/पदोन्नति को तदर्थ में परिवर्तित करे इसका कोई औचित्य नहीं था। चूंकि एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में डॉ. चौधरी की नियुक्ति और वरिष्ठता को चुनौती इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4023/1991 में पारित आदेश के मद्देनजर छोड़ दी गई थी, एकमात्र विवाद जिसे उच्च न्यायालय को निर्णय लेने के लिए बुलाया गया था, वह यह था कि क्या डॉ. चौधरी प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के योग्य थे। यह तर्क दिया गया कि भले ही एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में डॉ. चौधरी की नियुक्ति को अब वैध माना जाएगा और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए योग्यताएं समान हैं, प्रोफेसर के पद के लिए उनकी पात्रता पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। उन्हें उस पद पर नियुक्त कर रहे हैं. उच्च न्यायालय ने माना कि 1971 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा बनाए गए नियम वैधानिक बल वाले एकमात्र नियम थे, उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त थी। चूंकि मेडिकल काउंसिल द्वारा 1982 और 1989 में बनाए गए विनियमों को अब तक केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें केवल अनुशंसित माना जाएगा। इसलिए, न्यूरोसर्जरी में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता का प्रश्न 1971 के नियमों में अनुशंसित योग्यताओं के अनुसार निर्धारित

किया जाना था। 1971 के नियमों में मेडिकल काउंसिल ने न्यूरोसर्जरी में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए निम्नलिखित योग्यता की सिफारिश की थी:

(क)	प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर	M.S./F.R.C.S के बाद विशेषज्ञता में M. Ch. M.S./F.R.C.S या के साथ समकक्ष शल्य चिकित्सा दो साल विशेष संबंधित विशेषज्ञता में प्रशिक्षण या विशेषज्ञता बोर्ड (यूएसए) में संबंधित विशेषज्ञता।	(क)	रीडर के रूप में,आसिस्टेंट प्रोफ़ेसर संबंधित विषय के लिए 5 वर्षों के लिए मेडिकल कॉलेज में आवश्यक स्नातकोत्तर क्वाली-फिक्शन के पश्च्यात।

डॉ. चौधरी के पास एम. सी. एच. की डिग्री नहीं थी और, इसलिए, एकमात्र प्रश्न पर विचार करना आवश्यक था कि क्या उनके पास एम.एस. की वैकल्पिक योग्यता संबंधित विशेषज्ञता में दो साल के विशेष प्रशिक्षण के साथ थी। पात्रता आवश्यकता की व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि संबंधित व्यक्ति के पास विशेष प्रशिक्षण की योग्यता के साथ-साथ अपेक्षित शिक्षण/अनुसंधान दोनों होना चाहिए जब वह वैकल्पिक योग्यता द्वारा कवर किए जाने का दावा करता है। इसने आगे कहा कि दो अभिव्यक्तियाँ 'विशेष प्रशिक्षण' और 'शिक्षण' 'अनुभव' को एक ही अर्थ के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, सहायक प्रोफेसर या रेजिडेंट सर्जिकल ऑफिसर के रूप में डॉ. चौधरी के शिक्षण अनुभव को 'विशेष प्रशिक्षण' नहीं माना जा सकता था। यह भी माना गया कि अभिलेख सामग्री में डॉ. चौधरी द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति का

स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया गया था। इस प्रकार डॉ. चौधरी का यह दावा कि उन्होंने दो साल से अधिक समय से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था, नकार दिया गया और यह माना गया कि उनके पास प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं थी। इस दृष्टिकोण को लेते हुए उच्च न्यायालय ने डॉ. ए. के. अग्रवाल बनाम बिहार राज्य, [1991] पूरक 1 एससीसी 287, और डॉ. गंगा प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य, [1995] पूरक 1 एस. सी. सी. 192 का अनुसरण किया गया और आंध्र प्रदेश राज्य बनाम. डॉ. आर. मुरली बाबू राव, [1988] 3 एससीआर 173 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को अलग किया। यह भी माना गया कि हालांकि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए योग्यता वही हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर डॉ. चौधरी की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी गई थी, प्रोफेसर पद के लिए डॉ. चौधरी की पात्रता को चुनौती देने के लिए प्रतिवादी हकदार था। उच्च न्यायालय ने ए.एन.शास्त्री बनाम पंजाब राज्य, [1988] 2 एससीआर 363 के मामले, में इस न्यायालय के निर्णय को इस आधार पर अलग कर दिया कि उस मामले में तथ्य अलग थे। अंततः, उच्च न्यायालय ने सरकार के 18 नवंबर, 1992 के फैसले को रद्द कर दिया, जहां तक उसने प्रतिवादी और डॉ. चौधरी की नियुक्तियों को केवल एसोसिएट्स प्रोफेसर तदर्थ के रूप में माना था । इसने डॉ. चौधरी को न्यूरोसर्जरी में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने के निर्णय को भी रद्द कर दिया और राज्य सरकार को न्यूरोसर्जरी में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।

वही दलीलें जो उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई थीं, हमारे सामने उठाई गई हैं। हम सबसे पहले इस तर्क पर विचार करेंगे कि क्या इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4023/1991 में 22.9.1991 पर पारित आदेश और प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दी गई रियायत को देखते हुए कि डॉ. चौधरी की एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति को अब चुनौती नहीं दी गई थी, यह प्रतिवाद करने के लिए

खुला था कि डॉ.चौधरी के पास प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, जब दोनों पदों के लिए योग्यता समान है। एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि डॉ. चौधरी की एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति वैध थी, तो इसका मतलब यह होगा कि आवश्यक शिक्षण अनुभव के अलावा उनके पास एमएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद न्यूरोसर्जरी की विशेषता में दो साल का 'विशेष प्रशिक्षण' भी था। इसलिए, इस बात की सराहना करना मुश्किल है कि यह उत्तरदाता के लिए चुनौती देने के लिए कैसे खुला था कि डॉ. चौधरी के पास प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक विशेष प्रशिक्षण नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा ए. एन. शास्त्री का मामला (ऊपर) लागू नहीं करने के लिए दिए गए कारण इस न्यायालय के निर्णय को अलग करने और प्रत्यर्थी की ओर से उठाए गए विवाद को बरकरार रखने की सराहना करना भी मुश्किल है। ए. एन. शास्त्री के मामले में तथ्य यह था कि शास्त्री को पहले प्रोफेसर और फिर उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था । पदोन्नति पर निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को इस दलील पर चुनौती दी गई थी कि उनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है। इस न्यायालय ने देखा कि प्रोफेसर और निदेशक के पदों के लिए निर्धारित योग्यताओं में कोई अंतर नहीं था । अतः इसने अभिनिर्धारित किया कि प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति करते समय सरकार को इस बात का संतोष हुआ होगा कि उनके पास अपेक्षित योग्यता थी। यह भी माना गया कि उनके पास निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता थी । उच्च न्यायालय ने ए. एन. शास्त्री के मामले (उपरोक्त) में निर्णय को केवल इस आधार पर अलग किया है कि प्रोफेसर और उप निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए, यह उनके लिए खुला नहीं था। निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए, सदस्यों की नियुक्ति करने वालों के लिए योग्यता समान है। सिविल अपील संख्या 4023/ 1991 में इस

न्यायालय द्वारा पारित आदेश और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दी गई रियायत को देखते हुए, इसे इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए था कि डॉ. चौधरी की एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति विवाद में नहीं थी, और इस तथ्य से खुद को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए था कि पहले एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। हमारी राय में, उच्च न्यायालय उस मामले के अनुपात का पालन नहीं करने में सही नहीं था कि जब दोनों पदों के लिए निर्धारित योग्यताएं समान हैं तो यह मान लेना होगा कि नियुक्ति प्राधिकरण संतुष्ट था कि जो व्यक्ति पहले से ही उन पदों में से एक पर नियुक्त किया गया था, उसके पास दूसरे पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता थी। उन पदों में से किसी के पास अन्य पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं थी। जब डॉ. चौधरी को प्रोफेसर नियुक्त किया गया तो यह नहीं दिखा कि सरकार इतनी संतुष्ट नहीं थी। उच्च न्यायालय ने यह दिखाने के लिए डॉ. चौधरी पर गलत तरीके से बोझ डाल दिया कि उन्होंने दो साल के लिए अपेक्षित 'विशेष प्रशिक्षण' प्राप्त किया था और गलती से यह मान लिया कि वह यह स्थापित करने में असफल रहे कि उनके पास पास उक्त योग्यता थी। इस न्यायालय का निर्णय ए.एन. शास्त्री का मामला (सुप्रा) पूरी तरह से इस मामले के तथ्यों पर लागू होता है और इसलिए, प्रोफेसर के रूप में डॉ. चौधरी की नियुक्ति को चुनौती खारिज कर दी जानी चाहिए थी।

अन्यथा भी हम पाते हैं कि डॉ. चौधरी ने एम. एस की डिग्री प्राप्त करने के बाद न्यूरोसर्जरी में दो साल से अधिक का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और इसलिए, उच्च न्यायालय अन्यथा अभिनिर्धारित करने में गलत था। हो सकता है, क्योंकि सरकार और डॉ. चौधरी द्वारा अपनी-अपनी अपीलों में जो सारी सहायक सामग्री हमारे सामने रखी गई है, वह उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखी गई थी और इसलिए, उच्च न्यायालय ने माना कि उसके सामने रखी गई सामग्री पर्याप्त नहीं थी। स्थापित करें कि डॉ.

चौधरी ने न्यूरोसर्जरी में दो साल का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था। डॉ. चौधरी और सरकार द्वारा पहले दिए गए दावों के अलावा, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि एनक्यूरोसर्जिकल यूनिट की स्थापना मई, 1975 में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में की गई थी। डॉ. वर्मा को उस यूनिट के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था और डॉ. चौधरी को दिसंबर, 1976 में उस यूनिट में रेजिडेंट सर्जिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉ. वर्मा द्वारा जारी प्रमाणपत्र से पता चलता है कि डॉ. चौधरी ने अपने कार्यकाल के दौरान गहन, सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण तीन साल का रेज़िडेंट सर्जिकल ऑफिसर का प्राप्त किया था, और उस अवधि के दौरान उन्होंने स्वतंत्र रूप से न्यूरोसर्जिकल जांच की और ऑपरेशन किए। सामग्री से यह भी पता चलता है कि न्यूरोसर्जिकल यूनिट में एक स्वतंत्र न्यूरो बाह्य रोगी विभाग, नियमित और आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर और गंभीर मामलों के लिए सुविधाओं वाले वार्ड थे। न्यूरोसर्जिकल यूनिट के वर्ष 1976 के ऑपरेशन रजिस्टर से पता चलता है कि उस वर्ष के दौरान 67 बड़े और 4 छोटे ऑपरेशन किए गए थे। रेजिडेंट सर्जिकल ऑफिसर का पद एक शिक्षण पद है और डॉ. चौधरी 5.2.1980 को सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी नियुक्ति तक उस यूनिट में उस पद पर बने रहे। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि डॉ. चौधरी ने 1976 और 1980 के बीच रेजिडेंट सर्जिकल ऑफिसर के रूप में जो प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसे न्यूरोसर्जरी में 'विशेष प्रशिक्षण' नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय का यह मानना सही नहीं था कि उस अवधि के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में न्यूरोसर्जिकल विभाग मौजूद नहीं था और यह 1980 के बाद ही अस्तित्व में आया था। उच्च न्यायालय इस बात को समझने में विफल रहा है कि हालांकि न्यूरोसर्जिकल विभाग मौजूद नहीं था। 1982 से पहले यह एक स्वतंत्र विभाग था, यह एक स्वतंत्र इकाई थी जिसमें न्यूरोसर्जिकल मामलों से निपटने के लिए सभी सुविधाएं थीं। इसलिए, न्यूरोसर्जिकल यूनिट के प्रमुख डॉ. वर्मा द्वारा जारी प्रमाण

पत्र के मद्देनजर और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री से पता चलता है कि डॉ. चौधरी ने दो साल तक न्यूरोसर्जरी में 'विशेष प्रशिक्षण' लिया था।

डॉ. गंगा प्रसाद वर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री रंजीत कुमार ने तर्क दिया कि प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए एम.सी.एच. की योग्यता बाद में संबंधित विशेषता में M.S./F.R.C.S होनी चाहिए। उस मामले में सहायक प्रोफेसर डॉ. गंगा प्रसाद वर्मा को न्यूरोसर्जरी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में 17.9.1993 को पदोन्नत किया गया था। उस तारीख से पहले डॉ. बसंत कुमार सिंह ने एक रिट याचिका दायर कर दावा किया था कि वह न्यूरोसर्जरी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के हकदार हैं। चूंकि याचिका के लंबित रहने के दौरान डॉ. वर्मा को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए इसमें संशोधन किया गया और डॉ. वर्मा की पदोन्नति को भी चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए डॉ. वर्मा की पदोन्नति को रद्द कर दिया और सरकार को अरुण कुमार अग्रवाल (डॉ.) बनाम बिहार राज्य, [1991)पूरक. 1 एससीसी 287 मामले में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या उच्च न्यायालय ने उक्त निर्देश देकर सही किया था। चूँकि डॉ. वर्मा के पास एम.सी.एच. की डिग्री नहीं थी, इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्देश देकर सही किया था। डॉ. वर्मा की ओर से दलील दी गयी कि एम.सी.एच. की योग्यता. सहायक प्रोफेसर के पद से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं थी और चूंकि उन्होंने संबंधित विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के रूप में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव दिया था, इसलिए वह एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात कि 'एम.एस./एफ.आर.सी.एस. या एम.एस. या

एफ.आर.सी.एस. या संबंधित विशेषज्ञता में दो साल के विशेष प्रशिक्षण के साथ सर्जरी में समकक्ष योग्यता या संबंधित विशेषता में स्पेशलिटी बोर्ड (यूएसए), एक वैकल्पिक शैक्षणिक योग्यता है, विशेष रूप से नहीं उठाया गया था, हालांकि डॉ. वर्मा की ओर से ऐसी व्याख्या का सुझाव दिया गया था। इसलिए, इस न्यायालय ने केवल पहली योग्यता, जिसका नाम 'एम.सी.एच.' है, पर विचार किया। एम.एस./ एफ.आर.सी.एस. के बाद संबंधित विशेषज्ञता में। और प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति, एम.सी.एच. की योग्यता रखी।एम.एस./ एफ.आर.सी.एस. के बाद संबंधित विशेषज्ञता में बिलकुल ज़रूरी है। हमारा मानना है कि यदि उस योग्यता को प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक माना जाता तो प्रासंगिक विनियमन में 'एम.एस/एफ.आर.सी.एस.' की योग्यता या प्रोफेसर या जी एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए भी योग्यता के रूप में संबंधित विशेषज्ञता में दो साल के विशेष प्रशिक्षण के साथ सर्जरी में समकक्ष योग्यता शामिल नहीं होती। जैसा कि विनियमन को पढ़ने से पता चलता है कि यह प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने के लिए एक वैकल्पिक योग्यता है। ऐसी नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास इनमें से कोई भी योग्यता होनी चाहिए। यदि उक्त विनियम की अन्य व्याख्या की जाती है केस डॉ. गंगा प्रसाद वर्मा, सहायक ए सी इ बुद्धिमानी और यह माना जाता है कि एम.सी.एच. एम.एस./एफ.आर.सी.एस. के बाद संबंधित विशेषज्ञता आवश्यक है, किसी व्यक्ति को प्रोफेसर या एसोसिएट के रूप में नियुक्त करने से पहले, जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के बाद वाले हिस्से को निरर्थक बना देगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि M.Ch. से उच्च डिग्री है एम.एस. से। और, इसलिए, ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो M.Ch. नहीं है, और उसके पास केवल एम.एस. डिग्री के साथ यह भी आवश्यक है कि उसके पास प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए संबंधित विशेषज्ञता में दो साल का विशेष प्रशिक्षण होना चाहिए। डॉ. गंगा प्रसाद वर्मा के मामले

का फैसला करते समय इस न्यायालय द्वारा इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि यह तय करना आवश्यक नहीं था कि एम.एस. संबंधित विशेषज्ञता में दो साल का 'विशेष प्रशिक्षण' वैकल्पिक योग्यता थी या नहीं।

विद्वान वकील ने हमारा ध्यान 1982 और 1989 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा की गई अनुवर्ती सिफारिशों की ओर भी आकर्षित किया। उच्च न्यायालय ने उन सिफारिशों का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि उन्हें अब तक केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है और, इसलिए, भारतीय मेडिकल काउंसिल अधिनियम के तहत नियम नहीं बने हैं। जैसा कि इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मेडिकल काउंसिल की सिफारिशें भारत मेडिकल काउंसिल अधिनियम की धारा 33 के तहत बनाए गए नियम बनने के बाद भी प्रकृति में केवल अनुशंसात्मक हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई मंजूरी के कारण इस आधार पर आगे बढ़ना सही नहीं था कि 1971 के नियमों के पास वैधानिक बल है। केंद्र सरकार और अन्य नियम 1982 और 1989 के प्रकृति में अनुशंसात्मक ही हैं जबकि मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण पदों पर नियुक्तियाँ करते समय नियमों का पालन किया जाना अपेक्षित है, यह नियुक्ति प्राधिकारी के लिए खुला होगा कि वह उन सिफारिशों का पालन करें या न करें जिन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है और इस प्रकार नियम नहीं बने हैं। लेकिन नियुक्ति प्राधिकारी के लिए ऐसी सिफारिशों का पालन करना अनुचित नहीं होगा यदि वे स्वीकार्य पाई जाती हैं और ऐसी सिफारिशों के आधार पर की गई नियुक्तियाँ बेहतर तरीके से मनमानी की चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगी। दोनों 1982 के तहत और जी 1989 की सिफ़ारिशों के अनुसार न्यूरोसर्जरी में प्रोफेसर के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता एम.सी.एच. निर्धारित की गई है। न्यूरोसर्जरी में. हालाँकि, मेडिकल काउंसिल ने उन दोनों सिफारिशों में यह स्पष्ट कर दिया कि एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर और उससे ऊपर के पद पर निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले शिक्षक पद पर बने रह सकते हैं और

उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए भी पात्र हो सकते हैं। इसलिएभले ही हम बाद की सिफारिशों के आधार पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता का आकलन करते हैं, डॉ. चौधरी की प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति को मनमाना या अवैध नहीं माना जा सकता है। परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया जाता है और प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा 14.7.95 पर दी गई अंतरिम राहत को देखते हुए और 24.11.95 राज्य सरकार को उस पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है जो रिक्त हो गया था। हर्जे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकार की गई।

उपरोक्त निर्णय का अक्षरशः अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अर्जिता सिंह द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।